[illegible] - [illegible] 17/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible].1.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 2[illegible].[illegible].23 को पेश हों।	Notad Sabuta [illegible]
3.8.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.10. को पेश हो।	
16.10.23	पत्रावली पेश। वकील अपील[illegible] रेस्पो. शेष के नोटिस रजि. AD पेश करने की हिदायत दी गई। पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.12.23 को पेश हो।	
1.12.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 23/2/24 को, पेश हों।	
23/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/5/24 को पेश हो।	
14.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	